4.1 पूर्ण निर्माण कार्यों की स्थिति

सां.स्था.क्षे.वि.यो. दिशानिर्देशों ने निर्धारित किया कि निर्माण कार्यों की समाप्ति के लिए समय सीमा सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, 2004-05 के प्रारम्भ में सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत 1,51,423 अपूर्ण निर्माण कार्य थे तथा 2004-09 के दौरान 3,66,820 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। कुल 5,18,243 निर्माण कार्यों के प्रति 1,08,581 अपूर्ण निर्माण कार्यों (कुल निर्माण कार्यों का 21 प्रतिशत) को शेष छोड़ते हुए 2008-09 की समाप्ति तक 4,09,662 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए थे। शेष बचे अपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रतिशतता 2004-05 में 48.23 प्रतिशत से 2006-07 में 59.28 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 4.1: 2004-09 के दौरान संस्वीकृत तथा पूर्ण निर्माण कार्य

वर्ष	अपूर्ण निर्माण कार्यों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संस्वीकृत निर्माण कार्य	कुल निर्माण कार्य	वर्ष के दौरान पूर्ण निर्माण कार्य	वर्ष की समाप्ति पर अपूर्ण निर्माण कार्य	कुल निर्माण कार्यों में से अपूर्ण बचे निर्माण कार्यों की प्रतिशतता
2004-05	1,51,423	65,356	2,16,779	1,12,225	1,04,554	48.23
2005-06	1,04,554	77,045	1,81,599	77,617	1,03,982	57.26
2006-07	1,03,982	66,682	1,70,664	69,486	1,01,178	59.28
2007-08	1,01,178	66,039	1,67,217	69,509	97,708	58.43
2008-09	97,708	91,698	1,89,406	80,825	1,08,581	57.33

(स्त्रोतःसांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

2004-09 के दौरान संस्वीकृत तथा पूर्ण निर्माण कार्यों का राज्यवार सारांश **अनुबंध 4.1** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि अपूर्ण निर्माण कार्यों की संख्या 01 अप्रैल 2004 को 1,51,423 से 31 मार्च 2009 को 1,08,581 तक नीचे आई थी। तथापि, इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.4.2 में बताए गए निधियों के उपयोग के मामले के जैसे अपूर्ण निर्माण कार्यों पर सूचना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि मंत्रालय के पास अपूर्ण निर्माण कायों का कोई उम्र-वार विश्लेषण उपलबध नहीं था। जबकि मंत्रालय ने संचित आधार पर अपूर्ण निर्माण कार्यों पर डाटा अनुरक्षित

किया इसलिए इसके प्रारम्भ से योजना के अंतर्गत प्रत्येक संस्वीकृत निर्माण कार्यों पर ब्यौरों का प्रग्रहण करने हेतु मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया मानीटरिंग साफ्टवेयर, पूर्णतः अविश्वसनीय था (जैसा कि प्रतिवेदन के पैराग्राफ 7.1.3 में दिया गया है)।

उपरोक्त की दृष्टि में, निर्माण कार्यों की समाप्ति में संचित कार्य का कोई अर्थपूर्ण विश्लेषण संभव नहीं होगा। इस प्रकार, मानीटरिंग की पद्धति कार्यान्वयन में असावधानियों को प्रोत्साहित करती है।

4.2 निर्माण कार्य का संसाधन एवं सौंपा जाना

4.2.1 निर्माण कार्य की संस्वीकृति

सां.स्था.क्षे.वि.यो. दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि सांसद से सिफारिश की प्राप्ति पर जिला प्राधिकरण (जि.प्रा.) प्रत्येक सिफारिश किए कार्य की योग्यता तथा तकनीकी औचित्य को सत्यापित करेगा तथा निर्माण कार्य को तकनीकी रूप तथा कार्यान्वयन अभिकरण (का.अ.) द्वारा तैयार वित्तीय अनुमानों को स्वीकृत करायेगा। ऐसे सभी योग्य निर्माण कार्यों को सिफारिश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर संस्वीकृत किया जाना है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्न कमियाँ पाईं:

(i) निर्माण कार्य की संस्वीकृति में विलम्बः 28 राज्यों/सं.शा.क्षे.[3] के 104 जिलों में 74,223 निर्माण कर्यों में से 28,135 निर्माण कार्यों (नमूना जाँच किए संस्वीकृत आदेशों का 38 प्रतिशत) के संबंध में जि.प्रा. द्वारा संस्वीकृत प्राप्त करने में विलम्ब पाया गया था। इसमें से, 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. में, 17,763 निर्माण कार्यों में से 1,376 निर्माण कर्यों (8 प्रतिशत) हेतु संस्वीकृति जि.प्रा. द्वारा संबंधित सांसद से सिफारिश प्राप्त करने के एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से प्राप्त की गई थी जैसा कि **अनुबंध 4.2** में दिया गया है। राज्यों, जहाँ जि.प्रा. द्वारा निर्माण कार्य की संस्वीकृति में विलम्ब सुस्पष्ट थे, को दर्शाने वाले चार्ट को नीचे चित्रित किया गया है।

[3] अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल

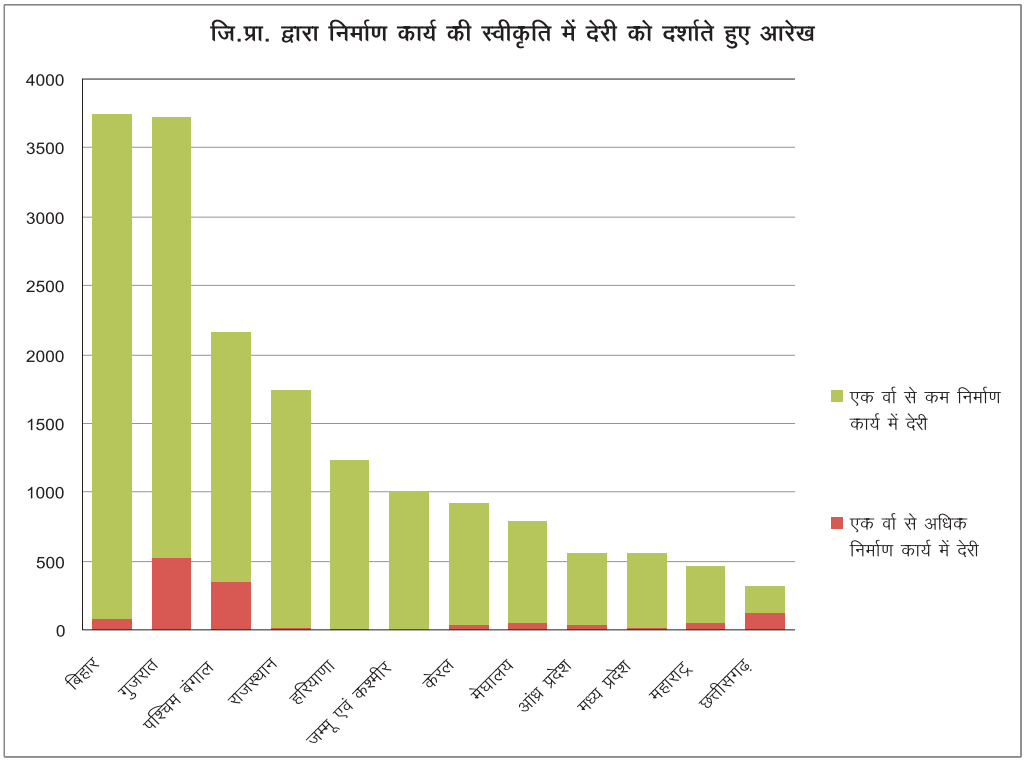

जि.प्रा. द्वारा संस्वीकृति में विलम्ब मुख्यतः सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने हेतु उपभोक्ता/कार्यान्वयन अभिकरणों से योजनाओं/अनुमानों को प्राप्त करने के लिए सामयिक कार्रवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण हुआ। संस्वीकृतियों का अप्रभावी संसाधन, कार्य की समाप्ति हेतु पूर्ण सारणी को विलम्बित करता है।

(ii) दिशानिर्देशों की अनुपालना के बिना निर्माण कार्य की संस्वीकृतिः 12 राज्यों/सं.शा.क्षे. में, ऐसे मामले थे जहाँ 7,136 निर्माण कार्यों हेतु (कुल निमाण कार्यों[4] का 25.53 प्रतिशत) जि.प्रा. द्वारा योजना दिशानिर्देशों में रेखांकित प्रक्रियाओं जैसे कि का.अ. से वित्तीय अनुमान प्राप्त करना, कार्य प्रारम्भ करने से पहले औचित्य अध्ययन करना, सक्षम प्राधिकारियों से तकनीकी निष्कासन प्राप्त करना आदि, का अनुपालन किए बिना, प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय संस्वीकृतियाँ प्राप्त की गई थीं (ब्यौरे **अनुबंध 4.3** में हैं)।

4 मणिपुर-100 प्रतिशत, मिजोरम-100 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश-83.05 प्रतिशत, राजस्थान-51.41 प्रतिशत, महाराष्ट्र-26.31 प्रतिशत, हरियाणा-25.05 प्रतिशत, उड़ीसा-22.44 प्रतिशत

4.2.2 कार्यान्वयन अभिकरण की पहचान

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 2.11 के अनुसार, जि.प्रा. को कार्य निष्पादन हेतु अभिकरण की पहचान करना तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः पं.रा.सं. तथा शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को का.अ. के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित था। दिसम्बर 2006 में भी मंत्रालय ने सुस्पष्ट किया था कि सां.स्था.क्षे.वि.यो. पर दिशानिर्देश सांसदों को कार्यकारी अभिकरण का चयन करना अनुमत नहीं करती थीं तथा यह अकेले जि.प्रा. की जिम्मेदारी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने प्रकट किया कि नौ राज्यों/सं.शा.क्षे. में सांसदों ने निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश सहित का.अ. के नाम की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, सिफारिश किए गए का.अ. उपभोक्ता अभिकरण भी थे जिनको निधियाँ जारी की गई थीं। सब में, ऐसे मामले 8,746 निमाण कार्यों (राजस्थान-2,674, उत्तर प्रदेश-2,311, मिजोरम-1,602, मणिपुर-1,039, मेघालय-927 आदि) में पाए गए थे। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध 4.4** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल का मामला नीचे दिया गया है।

प्रकरणः पश्चिम बंगाल में का.अ. का अनियमित चयन

- नमूना जांच किए जिलों में, 2004-09 के दौरान संस्वीकृत ₹ 187.58 करोड़ की लागत के सभी 6,158 निर्माण कार्यों के संबंध में का.अ. का चयन सांसदों द्वारा स्वयं सिफारिश करके किया गया था।
- पाँच चयनित जिलों में (हुगली, कोलकाता, पश्चिम मीदनीपुर, पुरूलिया तथा दक्षिण 24 परगना), 2004-09 के दौरान संस्वीकृत 6,091 निर्माण कार्यों में से 1,573 निर्माण कार्य (25.82 प्रतिशत) निजी अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित किए गए थे।
- शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों, गै.स.सं. आदि के विकास हेतु निधियाँ संस्वीकृत कराने के लिए सिफारिशों के मामले में उपरोक्त पाँच जिलों से संबंधित सांसदों द्वारा उपभोक्ता अभिकरण होते हुए संबंधित संगठनों की का.अ. के रूप में भी पहचान की गई थी।
- कुल ₹ 1.12 करोड़ के 14 निर्माण कायों के मामले में का.अ. (पं.रा.सं.) ने निर्माण कार्यों का निष्पादन करने की बजाए योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिला प्राधिकरणों से प्राप्त निधियों की पूर्ण राशि उपभोक्ता अभिकरणों को अदा की।

जि.प्रा. योजना के अंतर्गत व्यय करने में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु योजना दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए आवश्यक जाँचों तथा शेषों को लागू करने में विफल रहा।

मंत्रालय ने बताया कि जबकि एकमात्र जि.प्रा. के पास का.अ. की पहचान करने की शक्ति थी फिर भी कोई संदेह नहीं है कि सांसदों ने का.अ. की सिफारिश की होगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य/जि.प्रा. से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

4.2.3 निर्माण कार्य प्रदान करना

सां.स्था.क्षे.वि.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार, जि.प्रा. अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/सं.शा.क्षे. सरकार के कार्य अनुमानों, निविदा करने तथा प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

उत्तम अभ्यास

केरल तथा लक्षद्वीप में निविदा करने की प्रक्रिया पारदर्शी थीं तथा प्रतियोगितात्मक बोलियों की सभी औपचारिकताएँ पाई गईं थीं।

तथापि यह पाया गया था कि चार राज्यों में ₹ 28.65 करोड़ वाले 703 निर्माण कार्यों के लिए ठेका, मानक निविदा करने की प्रक्रिया के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था जैसे नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 4.2: निविदा करने की प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना कार्य प्रदान करना

क्र.सं.	राज्य	निर्माण कार्यों की सं.	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	नागालैंड	209	जि.प्रा. ने कोई निविदा आमंत्रित किए बिना का.अ. के माध्यम से निर्माण कार्य निष्पादित किया	12.03
2	अरूणाचल प्रदेश	238	2004-09 के दौरान का.अ. द्वारा प्रतियोगितात्मक बोलियों के बिना निजी ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन	9.97
3	पश्चिम बंगाल	251	₹ 20000 अथवा अधिक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु निविदा नहीं की गई थी जैसा कि पश्चिम बंगाल सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार अपेक्षित था। शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों आदि द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन के मामले में निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया था तथा श्रमिकों को स्थानीय रूप से नियुक्त किया गया था तथा सामग्रियों का स्थानीय बाजार से प्रापण किया गया था	6.15
4	उड़ीसा	5	निविदा प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हुए का.अ. द्वारा निजी ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन	0.50
योग		**703**		**28.65**

(स्त्रोत:जि.प्रा. के अभिलेखों से प्राप्त डाटा)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु जि.प्रा. से प्रत्येक मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

मानक निविदा प्रक्रिया को अपनाए बिना ठेका प्रदान करने तथा निजी ठेकेदारों के उपयोग के इन मामलों ने जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु योजना में निर्धारित जाँचों एवं शेषों का तनूकरण प्रदर्शित किया तथा उत्तर ने मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग के अभाव में कार्यान्वयन विवरणों के संबंध में जानकारी की पूर्ण कमी को प्रदर्शित किया।

4.2.4 प्रशासनिक स्वीकृति तथा संस्वीकृति के बिना निर्माण कार्य का निष्पादन

कार्य का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय संस्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति द्वारा प्रारम्भ किया जाना था।

तथापि, चार राज्यों में, 1,363 निर्माण कार्यों में से कुल ₹ 17.80 करोड़ के 363 निर्माण कार्यों (26 प्रतिशत) का निष्पादन या तो जि.प्रा. द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रापत किए बिना किया गया था या फिर इनका निष्पादन पूर्व वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रारम्भ किया गया था जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 4.3: प्रशासनिक संस्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजय	निष्पादित निर्माण कार्यों की कुल सं.	संस्वीकृति के बिना निष्पादित निर्माण कार्यों की सं.	राशि
1	नागालैण्ड	344	209	12.03
2	अरूणाचल प्रदेश	502	132	5.28
3	मिजोरम	167	11	0.36
4	त्रिपुरा	350	11	0.13
योग		**1,363**	**363**	**17.80**

(स्त्रोत:जि.प्रा. के अभिलेखों से प्राप्त डाटा)

इसके अतिरिक्त, असम के दो नमूना जिलों कामरूप (शहरी) तथा कामरूप (ग्रामीण) में जि.प्रा. ने 14 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 0.57 करोड़ संस्वीकृत लागत के प्रति का.अ. को ₹ 0.89 करोड़ जारी किए जिसका परिणाम ₹ 0.32 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

वित्तीय संस्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों के निष्पादन ने योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु जि.प्रा. से प्रत्येक मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

4.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

जि.प्रा. को संबंधित सांसद द्वारा सिफारिश किए प्रत्येक कार्य की योग्यता एवं तकनीकी औचित्य को सत्यापित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, कार्य को संस्वीकृत करने से पहले जि.प्रा. को सुनिश्चित करना था कि ऐसे निर्माण कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारियों से सभी निष्कासन प्राप्त कर लिए गए थे। दिशानिर्देश भी निर्धारित करते हैं कि संस्वीकृति पत्र/आदेश को का.अ. द्वारा निर्माण कार्यों की समाप्ति हेतु एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। निर्माण कार्यों की समाप्ति हेतु समय सीमाएं आमतौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा संस्वीकृति पत्र/आदेश को का.अ. के प्रति नियत समय के भीतर कार्य को पूर्ण करने में अपनी विफलता की घटना में उपयुक्त दण्डनीय कार्रवाई हेतु एक धारा भी सम्मिलित करनी थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाईं:

(i) निर्माण कार्यों को प्रारम्भ ना करना: लेखापरीक्षा ने पाया कि 389 निर्माण कार्यों, जिसके लिए जि.प्रा. द्वारा ₹ 9.17 करोड़ की अनुमानित लागत जारी की गई थी, को 2004-09 की अवधि के दौरान नौ राज्यों/सं.शा.क्षे. में प्रारम्भ नहीं किया जा सका। निर्माण कार्यों को प्रारम्भ न करने के ब्यौरे **अनुबंध 4.5** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में दो निर्माण कार्यों का प्रकरण नीचे दिया गया है।

प्रकरण: तमिलनाडु में निमाण कार्यों का विलम्बित प्रारम्भ

- वार्ड संख्या 72 तथा 73 में मेहतानगर सिंगर्यार स्ट्रीट को वैंकटाचलापती स्ट्रीट के साथ जोड़ने हेतु एक पुल का निर्माण चैन्नई नगर निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र चैन्नई के लोक सभा सांसद द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। तथापि, निर्माण कार्य, पुल के संरेखण में बदलाव तथा अनुमानों के बारंबार संशोधन (2004-09 के दौरान चार बार) के कारण आरम्भ नहीं किया गया था। यह ₹ 1.50 से ₹ 5 करोड़ तक लागत वृद्धि का कारण बना। अगस्त 2009 को कार्य अभी भी निविदा के चरण पर था।
- 54 प्रभागों में रेलवे रोड़, पैरांबूर लोगो वर्कस में सड़क पुल (स.पु.) को चौडा करने को दक्षिणी रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। यह 2006-07 में चैन्नई नगर निगम द्वारा संस्वीकृत किया गया था। तथापि, इसे अनुमानों में बारंबार संशोधन (2006-10 के दौरान तीन बार.) के कारण अगस्त 2009 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। अनुमानों के संशोधन को दक्षिणी रेलवे द्वारा मांगे गए कुल ₹1.99 करोड़ के स्थापना प्रभारों, पर्यवेक्षण प्रभारों, विभागीय प्रभारों तथा अनुरक्षण प्रभारों को आरोपित किया था जो सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं था। बाद में कार्य की अनुमानित लागत प्रस्तावित ₹ 3.00 करोड़ से 2009-10 में ₹ 8.41 करोड़ तक बढ़ गई थी। 2008-09 तथा 2009-10 में का.अ. को पूर्ण बढ़ी हुई राशि को जारी करने के बावजूद अभी भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया था।

(ii) निर्माण कार्यों की विलम्बित समाप्ति: 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. के 53 जि.प्रा. में से 47 के संबंध में **₹** 108.65 करोड़ की लागत के 3,490 निर्माण कार्यों को एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद पूरा किया गया था। राज्य वार विवरण **अनुबंध 4.6** में दिए गए हैं।

(iii) अपूर्ण निर्माण कार्यः 16 राज्यों/सं.शा.क्षे. के 75 जि.प्रा. में से 71 के संबंध में कुल ₹ 279.99 करोड़ के 12,006 निर्माण कार्य एक वर्ष से पाँच वर्षों के बीच तथा कुछ मामलों में 15 वर्षों तक अपूर्ण रहे। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 4.7** में दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पाँच जिलों का एक प्रकरण नीचे दिया गया है।

प्रकरणः पश्चिमी बंगाल में अपूर्ण निर्माण कार्य

पांच नमूना जांच किए गए जिलों (हुगली, कोलकाता, पश्चिमी मणीपुर, पुरूलिया तथा दक्षिणी 24 परगना) में 1993-94 से 2007-08 के दौरान ₹ 378.08 करोड़ की स्वीकृत लागत के 20,385 कार्यों में से ₹ 57.01 करोड़ के 1499 निर्माण कार्य एक से तीन वर्षों हेतु अपूर्ण पड़े रहे। ₹ 24.14 करोड़ की लागत के 1004 निर्माण कार्य चार से छः वर्षों हेतु अपूर्ण रहे। ₹ 10.29 करोड़ की लागत के 311 निर्माण कार्य सात से नौ वर्षों तथा ₹ 2.80 करोड़ की लागत के 194 निर्माण कार्य 10 से 14 वर्षों हेतु अपूर्ण पड़े रहे। जि.प्रा. ने का.अ. को निधियां जारी करने के उपरान्त उनके द्वारा निर्माण कार्य शुरू न करने के संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था। यद्यपि का.अ. ने वर्षों तक निर्माण कार्य की स्थिति से अवगत नहीं कराए जाने के बावजूद भी अप्रयुक्त निधियों को वापिस प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हुगली तथा दक्षिणी 24 परगना के जि.पे. ने बताया (जून 2009) कि पर्याप्त अवसंरचना के अभाव के कारण वे इतनी बड़ी संख्या में कार्यों को मॉनीटर करने में असमर्थ थे।

(iv) **कार्यों पर निष्फल व्ययः 11 राज्यों में 305 अपूर्ण निर्माण कार्य जिन पर ₹ 8.50 करोड़ का व्यय किया गया था वे त्यागे जा चुके थे, अधुरा छोड़ दिया गया था या उनमें गतिरोध था जिसके कारण इन पर किया गया व्यय निष्फल रहा था। निष्फल व्यय का राज्य-वार विवरण अनुबंध 4.8 में दिया गया है। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का प्रकरण नीचे दिया गया है।**

प्रकरणः- अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में त्यागे गए कार्यों पर ₹ 5.40 करोड़ का निष्फल व्यय

- **सुनामी पुनर्वास निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 50 व्यक्तियों के लिए मॉडल सीनियर सेकेन्डरी स्कूल का ट्रांसिट हास्टल का निर्माण आरम्भ किया गया था। यह 2006-07 में क्रमशः अप्रैल 2007 तथा जनवरी 2007 की समापन तिथियों के लक्ष्य के साथ अनुमोदित किया गया था। ₹ 5.07 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त निर्माण कार्य को रोके रखा गया जिसके कारण व्यय निष्फल रहा। प्रथम निर्माण कार्य के संबंध में निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण दर्ज नहीं किए गए थे। द्वितीय निर्माण कार्य हेतु विलम्ब को का.अ. को निधियां जारी करने से पहले निर्माण कार्य स्थल के गैर-चयन को आरोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2009 तक क्रमशः 67 तथा 51 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि थी। जि.प्रा. ने का.अ. द्वारा मांगी गई बड़ी हुई ₹ 4.67 करोड़ की राशि को प्रदत्त नहीं किया था।**
- **सुनामी पुनर्वास निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत बेम्बूफ्लैट जैटी क्षेत्र में वर्क-शेड के निर्माण का निर्माण कार्य मध्य में ही छोड़ दिया गया था। यह दो गोदामों के गिराए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण था क्योंकि उपआयुक्त आवश्यक अनापत्ति की सहमति हेतु उपयुक्त प्राधिकरण की पहचान नहीं कर सका था। यद्यपि का.अ. (जिला परिषद) को जुलाई 2006 में इस निर्माण कार्य हेतु ₹ 0.33 करोड़ जारी कर दिया गया था फिर भी केवल आधा निर्माण कार्य ही हो सका था जो बाद में रीएन्फोर्समेन्ट निर्माण कार्य में पानी के रिसाव के कारण नष्ट हो गया था।**

उड़ीसा एवं त्रिपुरा में त्यागे गए/निलम्बित निर्माण कार्य

खेरेपेडार के पास हेलर नाला, उड़ीसा
स्वीकृति का वर्ष 2003-04
अनुमानित लागत ₹ 0.25 करोड़ किया गया व्यय ₹ 0.17 करोड़
स्थितिः कार्य स्थल के स्टील की छड़ों के चोरी हो जाने के कारण सितम्बर 2009 तक अपूर्ण था।

उत्तरी त्रिपुरा जिला के कुमारघाट स्थित टाऊन हॉल
अनुमानित लागत ₹ 0.20 करोड़
स्वीकृति का माह अगस्त 2001
स्थितिः- ₹ 0.12 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त कार्य को भूमि विवाद के कारण त्याग दिया गया था (अगस्त 2020)।

धरम नगर महाविद्यालय, उत्तरी त्रिपुरा जिला में क्लास रूमों का निर्माणः
अनुमानित लागत ₹ 0.14 करोड़ किया गया व्यय ₹ 0.10 करोड़
स्थितिः- कार्य निधियों की अंतिम किश्त के आबंटन के अभाव के कारण निलंबित रहा।

गोवा तथा गुजरात में निर्माण कार्य में निष्पादन में विलम्ब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, मामले जहां भिन्न कारण दर्ज किए गए थे उनमें निम्न शामिल हैं:

- भूमि विवाद, भूमि की गैर-उपलब्धता, खराब स्थल दशा तथा जन बाध्यताएं: (हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य का आरम्भ न किया जाना (102 निर्माण कार्य), आन्ध्र प्रदेश (17 निर्माण कार्य), त्रिपुरा (छः निर्माण कार्य), बिहार (55 निर्माण कार्य), कर्नाटका (14 निर्माण कार्य) तथा त्रिपुरा (चार निर्माण कार्य), उड़ीसा (दो निर्माण कार्य), हरियाणा (सात निर्माण कार्य), झारखंड (21 निर्माण कार्य), महाराष्ट्र (आठ निर्माण कार्य), हिमाचल प्रदेश (17 निर्माण कार्य), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (एक निर्माण कार्य), में त्यागा गया निर्माण कार्य।
- निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले संबधित प्राधिकरणों से आवश्यक तकनीकी अनापत्ति का अभावः [(पंजाब में निर्माण कार्यों का आरम्भ न किया जाना (30 निर्माण कार्य) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (छः निर्माण कार्य) तथा तमिलनाडु में त्यागा गया निर्माण कार्य (दो निर्माण कार्य), अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एक निर्माण कार्य) में निर्माण कार्य का आरम्भ नहीं होना]
- अपर्याप्त वित्तीय अनुमान, मूल्य वृद्धि एवं निधियों का अभावः [तमिलनाडु में निर्माण कार्य का आरम्भ नहीं होना (दो निर्माण कार्य) तथा त्रिपुरा (पांच निर्माण कार्य) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (चार निर्माण कार्य) पश्चिमी बंगाल (47 निर्माण कार्य), असम (पांच निर्माण कार्य) में निर्माण कार्य का निलम्बन)]
- निविदाओं के प्रति कोई उत्तर प्राप्त नहीं होनाः [केरल में 30 निर्माण कार्यों का आरम्भ नहीं होना]
- निर्माण कार्यों के उन मामलों में जहां कई अभिकरण शामिल थे वहां कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा कुछ कार्यों का निष्पादन किया गया था तथा कुछ द्वारा कार्य को आरम्भ नहीं किया गया था [त्रिपुरा में एक निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया था]
- निर्माण कार्य की तकनीकी गैर-व्यवहार्यताः [त्रिपुरा में एक निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया था।]
- प्रतिभोगी बोलियों के बिना ही निर्माण कार्य प्रदान कर दिया गया थाः [त्रिपुरा में एक निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया था]

निर्माण कार्य आरम्भ करने के साथ कार्य समाप्त करने में विलम्ब तथा अपूर्ण तथा निष्काषित कार्यों के ये मामले इंगित करते हैं कि जि.प्रा. ने प्रशासनिक संस्वीकृति तथा वित्तीय संस्वीकृति करने से पहले आवश्यक अनुमोदनों हेतु परियोजना/ निर्माण कार्य तथा योजना की व्यर्वहारिकता का कभी भी निर्धारण नहीं किया। इसका परिणाम इन कार्यों हेतु का.अ. को जारी निधियों के निष्कृय पड़े रहने में हुआ। जि.प्रा. तथा का.अ. भी योजना के प्रावधानों के अनुसार गलती कर

रहे अभिकरणों के विरूद्ध उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई करने में विफल रहे। अधिकतर मामलों में, विलम्ब के मामलों में संबंधित अभिकरणों के विरूद्ध संस्वीकृति पत्र में दाण्डिक रूपरेखा या उपयुक्त कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु जि.प्रा. से प्रत्येक मामले पर सूचना प्राप्त की जाएगी। निर्माण कार्य जो अभी आरम्भ नहीं किए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। अनियमिताओं के मामले में जि.प्रा. को उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

4. 4 संदिग्ध व्यय

राज्य तथा जिला स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच ने उजागर किया कि ₹ 0.40 करोड़ की राशि के संदिग्ध व्यय ने निधियों के संदिग्ध दुरूपयोग को इंगित किया जिसकी सरकार द्वारा आगे की जांच किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

4.4.1 परिसम्पतियां की गैर-मौजूदगी

(i) पश्चिम बंगाल में, जि.म., दक्षिणी 24 परगना ने केनिंग-I ब्लाक के अंतर्गत तालडी स्थित राजापुर में निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय के क्लासकक्ष के निर्माण हेतु सचिव को मई 2008 में ₹ 0.05 करोड़ की राशि जारी की थी। यद्यपि जि.म., ने ₹ 0.05 करोड़ की समग्र राशि हेतु उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त कर लिया था फिर भी लेखापरीक्षा ने जुलाई 2009 में पाया कि क्लासकक्ष का निर्माण नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर जि.मं., दक्षिणी 24 परगना ने ब्लॉक विकास अधिकारी, केनिंग-I को मामले की जांच करने हेतु निर्देश दिया। जि.प्रा. ने सचिव, तालडी-I तथा राजापुर निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय के इंजार्च द्वारा निधियों के दुरूपयोग को प्रमाणित (अक्तूबर 2009) किया, जिनके विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

(ii) झारखंड में, राज्य सभा के एक सं.स. ने ₹ 0.20 करोड़ की अनुमानित लागत के दो सोलर वाटर पम्प सैटों[5] की संस्थापना को जुलाई 2004 में अनुशंसित किया था। निविदाएं आमंत्रित करके कार्य में किरन एनर्जी सोल्यूशन प्रा.लि., धनबाद को प्रदान कर दिया गया था। जि.प्रा. (उपायुक्त सह नांडल अधिकारी, दियोघर) ने प्रतिष्ठान को पम्प सैटों की आपूर्ति तथा स्थापना हेतु अग्रिम के रूप में जुलाई 2005 में ₹ 0.08 करोड़ प्रदान किए। चार वर्षों के बीत जाने के उपरान्त भी प्रतिष्ठान द्वारा सोलर वाटर पम्पों की आपूर्ति नहीं की गई थी जैसा कि लेखापरीक्षा तथा डी.आर.डी.ए. देवघर के अधिकारियों द्वारा संचालित संयुक्त क्षेत्रीय जांच में प्रमाणित किया गया था। इस प्रकार, प्रतिष्ठान द्वारा ₹ 0.08 करोड़ बिना सोलर पम्पों की आपूर्ति, किए अपने पास रोके रखे गए थे। तथापि, जि.प्रा. द्वारा आज तक कोई कार्यवाई नहीं की गई थी।

[5] हरिबंध तथा दुभारिया, देवघर

4.4.2 संदिग्ध मस्टर रोल प्रविष्टियों पर किया गया भुगतान

बिहार में, का.अ. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.), पटना ने छः निर्माण कार्यों[6] पर मजदूर लगाए जो पहले ही संपूर्ण हो चुके थे तथा उनके लिए उ.प्र. जि.प्रा. को प्रस्तुत किए जा चुके थे। जबकि 31 जुलाई 2006 तक चार को पूर्ण दिखाया गया था, किन्तु 5 दिसम्बर 2006 तक मस्टर रोल हेतु ₹ 0.06 करोड़ को दर्ज किया गया था। इसी प्रकार दो कार्य 30 सितम्बर 2006 तक पूर्ण हो चुके थे किन्तु 26 दिसम्बर 2006 तक मस्टर रोल हेतु ₹ 0.15 लाख दर्ज किए गए थे। इस प्रकार ₹ 0.06 करोड़ का व्यय संदिग्ध था। संबंधित कार्यकारी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2009) कि अन्य कार्यों के अप्रयुक्त बकाया शेषों में से निर्माण कार्यों को पूरा किया गया था तथा दूसरी किश्त के प्राप्त होने के उपरान्त मस्टर रोल तथा अन्य लेखे तैयार किए गए थे। तथापि मस्टर रोल में निर्माण कार्य समापन के उपरान्त दर्ज करना तथा उ.प्र. का प्रस्तुतीकरण इंगित करता है कि मजदूरों पर किया गया व्यय संदिग्ध था।

4.4.3 संदिग्ध वाउचरों पर किया गया भुगतान

(i) मिजोरम में 18 जांच किए गए निर्माण कार्यों में का.अ. द्वारा ₹ 0.19 करोड़ की राशि की क्रय की गई सामग्री के समर्थन में जि.प्रा. एजबाल को सादे कागज पर वाउचर प्रस्तुत किए गए थे जिसका ब्यौरा **अनुबंध - 4.9** में दिया गया है। कुछ मामलों में सामग्री क्रय की तिथि निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद की थी। ऐसे वाउचरों पर किया गया भुगतान संदिग्ध था।

(ii) झारखंड के देवघर जिले में ₹ 0.22 करोड़ की अनुमानित लागत के हाई यील्ड टयूबवेलों के चार निर्माण कार्यों[7] के निर्माण को राज्य सभा सदस्य की अनुशंसा पर उपयायुक्त, दियोघर द्वारा संस्वीकृति (मई 2006) पर कावरिया पाथ पर विभागीय रूप से निष्पादित किया गया था। तथापि मेजरमेन्ट बुक तथा वाउचरों की जांच ने उजागर किया कि जि.प्रा. को सूचित एवं व्यय के रूप में दर्शाए गए ₹ 0.22 करोड़ में से केवल ₹ 0.20 करोड़ ही इन निर्माण कार्यों पर वास्तव में व्यय किए गए थे। बकाया ₹ 0.02 करोड़ का का.अ. द्वारा शायद दुरूपयोग किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक संदिग्ध व्यय के मामले की सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु जि.प्रा. से प्राप्त की जाएगी।

---

[6] कच्चा रोड़ निर्माण के दो कार्य, अहार के दो कार्यों का नवीकरण तथा सामुदायिक भवन के निर्माण के दो कार्य

[7] दुमका में केदारनाथ भवन सं. 11 के पास, मंगेलेश्वर भवन रोड़ सं. 5 के पास, सोमनाथ भवन रोड़ सं. 6 तथा कलकत्तीया भवन के पास एच.वाई.टी. वैल का निर्माण।

4.5 कार्य निष्पादन में अन्य कमियां

4.5.1 निम्न दर्जे का कार्य

(i) 2004-09 के दौरान दिल्ली में, दि.न.नि. ने ठेकेदारों के माध्यम से मस्टिक ऐसफाट को डालकर सड़कों के सुधार/सुदृढ़ीकरण हेतु 25 मि.मि. मोटी बिटुमिन मस्टिक वियरिंग कोर्स को बिछाने तथा प्रावधान करने के 28 कार्यों का निष्पादन किया। सभी मामलों में ठेकेदारों ने निम्नस्तर की बिटुमिन, अर्थात 8.79 कि.ग्रा./वर्ग मी. की अपेक्षित मात्रा के स्थान पर 5.86 कि.ग्रा./वर्ग मी. का प्रयोग किया जिसका परिणाम ठेकेदारों को ₹ 0.66 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

(ii) उत्तर प्रदेश (जालौन जिला) में 2005-07 के दौरान ₹ 0.09 करोड़ की लागत पर सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) सड़क के निर्माण का कार्य संस्वीकृत किया गया था। डी.आर.डी.ए. द्वारा सड़कें निम्न स्तर की पाई गई तथा उनका सुधार किया जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं था क्योंकि सड़क की उपरी सतह मोटाई 20 से.मी. की निर्धारित सीमा से एक से सात सें.मी. तक कम थी।

(iii) सी.सी. सड़क के अन्य निर्माण कार्य जो कि 2006-07 के दौरान ₹ 0.01 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत किया गया था, विशिष्टताओं के अनुसार सड़क की नींव में 40 मि.मि. ग्रिट का प्रयोग किया जाना था तथा उपरी सतह पर 20 मि.मि. ग्रिट का प्रयोग किया जाना था। इस संबंध में जि.मं. के निरीक्षण प्रतिवेदन ने उजागर किया कि दोनों परतों को पृथक रूप से बिछाने की जगह विभिन्न आकारों की ग्रिटों को मिलाकर सड़क की 10 से.मी. कुल परत बनाने में प्रयोग किया गया था जिसका परिणाम सड़क की उपरी सतह के असामान्य तथा कार्य के निम्न स्तर के होने में हुआ। तथापि, का.अ. के विरूध्द कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह जि. प्रा. द्वारा पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग के अभाव को दर्शाता है।

4.5.2 अधिक/परिहार्य व्यय

(i) बिहार में, योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य मौजूदा सूचीबद्ध दरों पर तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर निष्पादित किया गया था जिसमें 10 प्रतिशत की दर पर ठेकेदार का लाभ (सी.पी.) शामिल था। विभागीय रूप से निष्पादित किए गए कार्यों हेतु कार्य के कुल अनुमानित मूल्य से ठेकेदार के लाभ को घटाया जाना था। छः कार्यान्वयन अभिकरणों[8] द्वारा 46 निर्माण कार्य विभागीय रूप से किए गए थे। तथापि, संबंधित कर्मचारी को अनुमानों में से कटौती किए बिना ठोकेदार का लाभ अनुमत किया गया था। इस प्रकार कार्यान्वयन अभिकरण द्वार ₹ 0.08 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

[8] ग्रामीण कार्य प्रभाग (आर.डब्ल्यू.डी.)-2, माधेपुरा (₹ 0.02 करोड़); बेगुसराय (₹ 0.01 करोड़); खागरिया (₹ 0.01 करोड़); रोहतारन (₹ 0.11लाख); एन.आर.ई.पी. सिवान (₹ 0.03 करोड़) तथा रोहतास(₹ 0.50 लाख)

(ii) बिहार में छः कार्यान्वयन अभिकरणों के मामलों में ब्रिक बेटस के सुदृढ़ीकरण पर, अधिक लेड के प्रावधान तथा मजदूरों के अधिक भुगतान पर अनुमानों में प्रावधान की गई दरों से उच्च दरें अनुमत कर 2005-08 के दौरान ₹ 0.55 करोड़ का[9] अधिक भुगतान किया गया था।

4.5.3 निर्माण कार्य का गलत अनुमान

(i) मिजोरम में, संबधित सं.स. (रा.स.) की अनुशंसा पर मॉलपुई में खेल के मैदान का ₹ 0.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर 38475 क्यू मि का कार्य चार भागों में पूरा किया जाना था। निर्माण कार्य के सभी भाग भूमि की खुदाई अर्थात ढांचा काटना से संबंधित थे। तथापि, जांच अधिकारी की रिपोर्ट (मेजरमेन्ट बुक की अनुपस्थिति में उपलब्ध एकमात्र प्रामाणिक अभिलेख) जो सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट द्वारा समर्थित थी, के अनुसार, अनुमानों के अनुसार कार्य की तुलना में अधिक कार्य का निष्पादन किया गया था। निर्माण कार्य के दूसरे भाग के पूर्ण होने पर, 53,087.40 क्यू.मी. की खुदाई का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था जो अनुमानित कुल निर्माण कार्य से अधिक था। चौथे भाग के पूर्ण होने पर 70,548.26 क्यू.मी. की खुदाई का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार जि.प्रा. ने पहले से पूर्ण हो चुके निर्माण कार्य के भागों के प्राथमिक अभिलेखों की जांच किए बिना अंतिम दो भागों को संस्वीकृत किया था, जिसका परिणाम ₹ 0.33 करोड़[10] के अधिक व्यय में हुआ।

(ii) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 2008-09 के दौरान सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधि से खरीदी गई 10 एम्बूलेंसों में से, स.स.ने सालवेशन फेलोशिप ट्रस्ट, पोर्टब्लेयर, निदेशक, परिवहन सेवा पोर्ट ब्लैयर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) लोंग द्वीपसमूह की तीन एम्बूलेंस जारी करने की अनुशंसा की थी। तथापि पहले दो अभिकरणों /संस्थानों को एम्बूलेंस जारी नहीं की गई थी। चूंकि ये सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत निशेद्य मदों के अंतर्गत आती थी, प्रा.स्वा.केन्द्र लोंग द्वीपसमूह ने एम्बूलेंस को यह बताते हुए लेने से मना कर दिया कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके यहाँ गाड़ी चलाने हेतु सड़के नहीं है तथा न ही कोई गैराज है। बाद में एम्बूलेंसों को सांसद की किसी अनुशंसा के बिना तथा सं.शा.क्षे. के प्रा.स्था.के. की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना विभिन्न प्रा.स्वा.के. को एम्बूलेंसें वितरित कर दी गई थी। यह इंगित करता है कि जि.प्रा. में सांसद की अनुशंसा के प्रति संस्वीकृति प्रदान करने से पहले उपभोक्ता अभिकरण की आवश्यकता/योग्यता की पहचान नहीं की थी जिसका परिणाम अनियोजित क्रम तथा परिसम्पतियों के संवितरण में हुआ।

---

[9] एन.आर.आई.पी. पटना (₹ 0.01करोड़), पुर्णिया (₹ 0.01 करोड़), लो.नि.वि. मासुर्थी (₹ 0.14 करोड़), पटना (₹ 0.35 करोड़), रोहतास (₹ 0.01 करोड़) तथा जिला बोर्ड बेगंसराय (₹ 0.04 करोड़)

[10] प्रथम दो संस्वीकृतियों के अनुसार किये गये कार्य की मात्रा = 7,680 + 53,087.40= 60,767.40 क्यू.मी.
प्रथम दो संस्वीकृतियों के अनुसार कुल व्यय = ₹ 5,00,000 + ₹ 20,00,000 = ₹ 25,00,000
व्यय की दर = ₹ 20,00,000/53,087.40 क्यू.मी.= ₹ 37.60 प्रति क्यू.मी.
इसके लिए आवश्यक राशि (38,475-7,680)= 30,795 क्यू.मी. कार्य= ₹ 11,75,892
कुल राशि अपेक्षित 38,475 क्यू.मी. = ₹ 5,00,000 + ₹ 11,75,892= ₹ 16,75,892
अधिक व्यय= ₹ 49,62,700 – ₹ 16,75,892 = ₹ 32,86,808

मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना जि.प्रा. से प्राप्त की जाएगी।

4.6 निर्माण कार्य के निष्पादन में प्रक्रियात्मक चूकें

योजना के अनुसार, सांसद द्वारा निर्माण कार्य निष्पादन हेतु कार्य तथा स्थल चुनाव में बदलाव नहीं किया जाना था बशर्ते संबंधित सांसद की जब तक सहमति न हो। तमिलनाडु में दो केन्द्रक जिलों तथा एक कार्यान्वयन जिले ने आठ निर्माण कार्यों को ₹ 0.69 करोड़ की लागत पर निष्पादित किया जो संबंधित सांसद की अनुशंसाओं से भिन्न था।

लेखापरीक्षा जांचों ने ऐसे दृष्टांतो को उजागर किया जहां महत्वपूर्ण नियमों, विशेष रूप से राज्य निर्माण कार्य नियमपुस्तिका के, का योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान पालन नहीं किया गया था। इन प्रक्रियात्मक चूके में शामिल है:-

- निर्माण कार्य का निष्पादन एक साथ न करके थोड़ा-थोड़ा करना ताकि प्रतियोगी दरों को प्राप्त न करना पड़े;
- सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किए बिना बिल की मात्रा में बढ़ोतरी करना;
- प्रतियोगी दरें प्राप्त किए बिना सामग्री का क्रय दण्ड स्थिति तथा खुले बाजार से करना;
- मस्टर रोल का अनुरक्षण किए बिना मजदूरों को भुगतान; तथा
- निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता तथा अवैध रूप से गिराई गई लकड़ी का प्रयोग करना।

छः राज्यों में देखे गए चूकों के कुछ दृष्टांत **अनुबंध 4.10** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि जि.प्रा. से आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्य निष्पादन में प्रक्रियात्मक चूकों के प्रत्येक मामले पर सूचना प्राप्त की जाएगी।

अनुशंसाएं

- ***अपूर्ण अथवा विलम्बित निर्माण कार्यों के लिए उत्तरदायी अभिकरणों के विरूध उपयुक्त कार्यवाई की जाए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां कार्य समाप्त न होने के कारण निर्माण कार्य का त्याग कर दिया गया हो।***
- ***इस प्रतिवेदन में इंगित किए गए आधिक्य/परिहार्य/संदिग्ध भुगतानों के मामलों की जांच की जाए तथा अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों/अभिकरणों से वसूली की जाए। निर्माणकार्य के समापन में विलम्ब के मामलों में जहां योजना दिशानिर्देशों में दण्ड का प्रावधान हो, उसे लगाया जाना चाहिए।***
- ***मंत्रालय को सभी स्तरों पर संपूर्ण दस्तावेजीकरण करने को सुनिश्चित करना चाहिए। निर्माण कार्य पंजिका, मस्टर रोल, मैजरमेन्ट बुक, निर्माण कार्य समापन प्रतिवेदन, रोकड़ बही आदि का अनुरक्षण की गहन मॉनीटरिंग जि.प्रा. स्तर पर की जानी चाहिए जैसा कि पी.डब्ल्यू.डी. नियमपुस्तिका के अंतर्गत अपेक्षित है।***